<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>**अपील/डिक्री/टीए/6559/2002/भरतपुर**</u>

1- मु0 सिरदारा बेवा कजोड़,
2- साधू पुत्र कजोड़ जाति राजपूत निवासी उगली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।
3- उगन्ता पुत्र कजोड़सिंह पत्नि विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रसूलपुर तहसील व जिला अलवर ।
4- पप्पी पुत्री कजोड़सिंह पत्नि रतनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पाई का बास तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
5- गुड्डी पुत्री कजोड़सिंह पत्नि रामबाबूसिंह जाति राजपूत निवासी कोलिला तहसील बहरोड़ जिला अलवर।
6- ममता कुमारी पुत्री कजोड़सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम उगली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।
7- अनीता कुमारी पुत्री कजोड़सिंह नाबालिग जरिये वली माता मु0 सिरदारा बेवा कजोड़सिंह।
8- फतेहसिंह पुत्र घीस्या जाति राजपूत निवासी उगली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।
9- सूरज पत्नि हरीजित पुत्री घीस्या जाति राजपूत निवासी ग्राम घाट तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।
10- परभाती पत्नि रूपसिंह पुत्री घीस्या जाति राजपूत निवासी ग्राम बनट तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

.... अपीलांट्स

बनाम

1- भंवरसिंह पुत्र हरीसिंह,
2- अमरसिंह पुत्र हरीसिंह,
3- मोहनसिह पुत्र हरीसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी हरीपुरा मजरा सावन्तपुरा तहसील बैर जिला भरतपुर।
4- मानसिंह,
5- गोपालसिंह,
6- कप्तानसिंह,
7- ओमप्रकाश,
8- बनैसिंह पुत्रान हरीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हरीपुरा मजरा सावन्तपुरा तहसील बैर जिला भरतपुर।
9- हरीसिंह पुत्र जोरावरसिंह जाति राजपूत निवासी हरीपुरा मजरा सावन्तपुरा तहसील बैर जिला भरतपुर।
10- विक्रमसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सावन्तपुरा हाल खरैरी तहसील बयाना जिला भरतपुर।
11- गिर्राज पुत्र नानगा जाति जोगी - फौत
  11/1- रामस्वरूप नाथ पुत्र गिर्राज नाथ,
  11/2- रामदयाल,
  11/3- जगदीश पुत्र लक्ष्मननाथ पुत्र गिर्राजनाथ।
  11/4- गोपाल,
  11/5- निहाल जोगी निवासी सावन्तपुरा तहसील बैर जिला

भरतपुर।

11/6- राजो पत्नि मक्खनसिंह पुत्री श्री गिर्राज नाथ,

11/7- सूरज पत्नि विजयसिंह जाति जोगी निवासी सुक्की का नंगला ग्राम व पोस्ट-गोगेरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

11/8- उगन्ती पत्नि भंवरसिंह पुत्री श्री गिर्राज नाथ।

11/9- शांति पत्नि बच्चूसिंह,

11/10-नथिया पत्नि मूलचन्द जाति जोगी निवासी हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

11/11-तोफा पत्नि कंवरसिंह पुत्री गिर्राज नाथ ग्राम पोस्ट महवा रामगढ़ रोड़, बर्फ फेक्ट्री के पास दौसा।

.... रैस्पोडेंट्स

12- संतोष पुत्री कजोड़सिंह पत्नि रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पथरेडी तहसील एवं जिला भरतपुर।

.... तरतीबी रेस्पो0

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः-
(1) श्री अशोक अग्रवाल एवं श्री जगदीश प्रसाद माथुर, अधिवक्ता, अपीलांट।
(2) श्री ओ0एल0दवे अधिवक्ता रैस्पोडेंट सं0 1 ल0 8

निर्णय

दिनांक : 12-9-2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विरूद्ध भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27-08-2002 अपील सं0 293/2001 बउनवानी मु0 सिरदारा आदि बनाम भंवरसिंह व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें सहायक कलक्टर बैर के वाद सं0 52/91 बउनवानी भंवरसिंह बनाम कजोड़सिंह व अन्य के निर्णय व डिक्री दिनांक 13-6-2001 द्वारा वादीगण का वाद डिक्री किया गया है, को प्रश्नगत किया गया था।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय में एक वाद इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 3 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 2 बीघा 15 बिस्वा, 226 मिन रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा

व 107, 225, 238, 241, रकबा 30 बीघा, 241 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा, वाके ग्राम सामंतपुरा तहसील बैर है, अंकित कर प्रस्तुत किया। जिसमें वादीण ख0 नं0 38, 226, 106, 107, 238, 241 सम्पूर्ण रकबे पर वादीगण टीनेन्सी प्रावधान होने से खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। प्रतिवादीगण का इस आराजी से कोई संबंध नहीं है। अतः उनका नाम कलमजन कर निषेधाज्ञा जारी की जावें। अपीलांट/प्रतिवादी का कोई संबंध उक्त आराजी से नहीं है किन्तु राजस्व रेकार्ड में उनके नाम गलत अंकन दर्ज है। प्रतिवादी हरीसिंह वादीगण का पिता है। प्रतिवादी मु0 तोफा के वारिस हैं। अर्जुनसिंह व मु0 तोफा का देहान्त हो चुका है। इस गलत इन्द्राज होने के कारण से उनके मन में बदनियति आ गयी और वे फसल के समय हमेशा झगड़ा करते हैं तथा आराजी मुन्तकिल करने की धमकी देते हैं। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जावें। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर प्रतिवादी सं0 1 से 4 ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा वादपत्र का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादीगण खातेदार काश्तकार नहीं रहे हैं। प्रतिवादीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण को सुनकर दिनांक 13-6-2001 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय ने उभयपक्षकारान को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 27-8-2002 से अपील अपीलांट खारिज कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखा गया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 27-8-2002 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि अपीलांट/प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में रेस्ज्यूडिकेटा के प्रश्नों को उठाया था एवं स्वयं अपीलीय न्यायालय ने भी इसे अपने निर्णय में स्वीकारा था। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा अपना जवाब दावा पेश कर दिया था तथा उसके पश्चात् न्यायालय का कर्त्वय था कि वह आदेश 14 नियम 1 जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसार तनकीयात कायम करता और उन

तनकीयात पर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसार तनकीवार निर्णय करना चाहिए था। अपीलांट/प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत गैर मौरूसी काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने पर वे धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 30 राजस्थान जमींदारी, बिस्वेदारी उन्मूलन के नियम 1959 के प्रावधानों के अनुसार स्वतः ही काश्तकार बन गये थे। अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर गैर मौरूसी की हैसियत से काबिज थे एवं रेस्पो0/प्रतिवादीगण की खुदकाश्त की आराजी नहीं थी तथा रेकार्ड में मकबूजा मालकान दर्ज थी। इस कारण उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने रेस्पो0/वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्य का विवेचन नहीं कर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किये हैं। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जावें तथा वाद वादी खारिज किया जावें।

5- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट का तर्क है कि सम्वत् 2002 व 2003 नकल जमाबन्दी व नामान्तकरण सं0 11 में जोरावरसिंह खातेदार जो हरीसिंह रेस्पो0 का पिता है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2012 नकल जमाबन्दी 2044 से 2047 तक जोरावर रेस्पो0 के दादा के नाम रही है। सम्वत् 2010 से 2015 तक खुद काश्त हरीसिंह साझी अर्जुनसिंह सम्वत् 2018 तक साझी रहे हैं। गैर मौरूसी करके खातेदार बना दिया। सम्वत् 2010 तक उससे पूर्व अर्जुनसिंह का नाम नहीं बाद में अर्जुन सिंह का नाम साझी के रूप में जिसका अर्थ गैर मौरूसी खातेदार साबित नहीं रह पाये। वादग्रस्त आराजी पर हमारा कब्जा काश्त है तथा हम खातेदार हैं। हरीसिंह, अर्जुन का कोई वादग्रस्त आराजी से संबंध व सरोकार नहीं है। रेस्पो0 पिता के आधार पर नहीं आ रहा है बल्कि खातेदार काश्तकार के रूप में आ रहा है। हरिसिंह बनाम कजोड़ का अलग, हमारा दावा अलग सी0पी0सी0 11 में लागू नहीं होता। विद्वान अधीनस्थ/अपीलीय न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किये हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2002 ए0आई0आर0 पेज 2849, 2017 डी0एन0जे0 एस0सी0 पेज 749, 2006 ए0आई0आर0 पेज 1864, 1980 आर0आर0डी0 पेज 750 व 1990 आर0आर0डी0 पेज 456 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि

1990 आर0आर0डी0 के अनुसार साझी टिनेन्ट या उप टिनेन्ट नहीं है।

6- हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत अपील में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब से वादीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है। जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन के समय वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता व जोरावरसिंह के पुत्र हरिसिंह की खैवट में आये जिसकी पुष्टि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हरिसिंह के नाम वादग्रस्त नम्बरान में से आये हिस्से से होती है। जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन लागू होने के समय वादीगण के पिता हरिसिंह के साथ अर्जुनसिंह बतौर साझी दर्ज होने के कारण आराजी पर इन्द्राज अर्जुनसिंह के नाम दर्ज हो गया। अर्जुनसिंह लाऔलाद फौत हो जाने के कारण वादग्रस्त आराजी का इन्द्राज मु0 तौफा भानजी अर्जुन दर्ज हो गया जो अर्जुनसिंह की भानजी थी। प्रतिवादीगण तौफा के वारिस है किन्तु उनके द्वारा वादग्रस्त नम्बरों पर काश्त व कब्जा होना संलग्न दस्तावेजों से साबित नहीं होता है क्योंकि प्रतिवादीगण गांव में न रहकर बाहर रहते हैं। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के फोर्स में आने से पूर्व से ही वादीगण के पूर्वजों का कब्जा उक्त आराजी पर रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया गया। परीक्षण/अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि अपीलांट ने इस प्रकरण में मात्र रेस्ज्यूडिकेटा के बिन्दु पर बहस की तथा अन्य कोई मुद्दा नहीं उठाया है परन्तु इस प्रकरण में वादीगण/रेस्पो0 ने अपना स्वतंत्र क्लेम बताते हुए भूमि पैतृक होने के कारण अपीलांट एवं अपने पिता हरीसिंह के विरूद्ध दावा किया है। पूर्व के दावा में वादी पक्षकार नहीं थे, ना उस आधार पर प्रकरण लड़ा गया है, ना पूर्व के दावे में कोई अंतिम फैसला हुआ है, ना दोनों दावों की तनकी समान है। अतः रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। अपीलांट ने रेस्पो0 की पैतृकता या विवादित भूमि का पैतृक नहीं होने बाबत कोई प्रश्न नहीं उठाया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत माना है।

7- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि नामान्तकरण सं0 11 सम्वत् 2011 दिनांक 12-3-1955 मु0 बिजोला वल्द हाकिमसिंह लाओलाद फौत होने पर उसके वारिसान लखजीतसिंह व जोरावरसिंह वादीगण के पूर्वज हैं। सम्वत् 2010 ल0 2013 तक वादीगण का बाबा व पिता मालिक व खुदकाश्त रहे हैं। सम्वत् 2010

से 2013 की जमाबन्दी में अर्जुनसिंह पुत्र श्योनाथसिंह, हरिसिंह पिता भंवरसिंह वगैरह के साथ साझीदार की हैसियत से दर्ज हो गये। सम्वत् 2014 से 2017 की जमाबन्दी में अर्जुन को साझीदार के बजाय गैर मौरूसी दर्ज कर दिया व सम्वत् 2018 ल0 2019 में खातेदार दर्ज कर दिया गया। हरिसिंह के इन्द्राज विलोपित कर दिये गये जो अनाधिकृत है क्योंकि साझीदार गैर मौरूसी या खातेदार नहीं हो सकता। जमाबन्दी, बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के समय वादीगण के पिता हरिसिंह के साथ अर्जुनसिंह बतौर साझीदार होने के कारण विवादित आराजी पर अर्जुनसिंह के नाम इन्द्राज हुए। अर्जुनसिंह के लाऔलाद फौत होने पर इन्तकाल सं0 179 दिनांक 22-10-1966 के आधार पर उसकी आराजीयात पर मु0 तौफा जो कि अर्जुनसिंह की भानजी थी, के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादीगण मु0 तौफा के वारिस हैं। संलग्न दस्तावेजात खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013, 2014, 2040, 2041 तथा रसीदें इत्यादि के अवलोकन से वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा काश्त वादीगण का जाहिर होता है।

8- इसके अतिरिक्त साझी अर्थात बटांईदार का अंकन यह प्रकट करता है कि काश्त साझे में थी, साझे की क्या शर्त थी, प्रकट नहीं है, साझे में लगान की जिंस अथवा नकद के रूप में देने के सप्रमाण स्पष्ट कथनों के अभाव में साझी टिनेन्ट नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में साझी होने के बारे में नकद या जिंस के रूप में लगान देने का कथन नहीं है। साझी का स्वरूप प्रकट नहीं किया गया है। जब व्यक्ति बंटाईदारी के रूप में दूसरे की भूमि जोतता है उस जोतने के बदले नकद या जिंस के रूप में लगान देता है। अन्यथा पम्पसैट की सुविधा देकर विद्युत मोटर लगाकर कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर उन्नत खाद, बीज उपलब्ध कराकर तथा अपने जल स्त्रोत नहरी/चाह/अन्यथा पानी देकर यदि फसल में कोई साझा रखता है तथा केवल यह सुविधा देने के बदले शेयर लेता है तो वह आसामी या उप आसामी नहीं है। आसामी या उप आसामी दूसरे की भूमि (भू-धारक/स्वामी) को जोतने बोने के अधिकार/प्रतिकार स्वरूप जो चुकारा किया जाता है वह लगान है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसे स्पष्ट कथनों के अभाव में ऐसी स्थिति में टिनेन्ट/उप टिनेन्ट नहीं होने से प्रतिवादीगण खातेदार या गैर खातेदार नहीं हो सकते हैं। खातेदार हेतु आसामी या उप आसामी होना अपेक्षित है। फसल उत्पन्न में साझा करने मात्र से टिनेन्ट नहीं कहा जा सकता। उसकी शर्ते (साझे) की टिनेन्ट/सब टिनेन्ट की स्थिति पैदा करने वाली होनी चाहिए।

9- जहां तक रेस्ज्यूडिकेटा का प्रश्न है। वादीगण (रेस्पोडेन्ट) ने भूमि पैतृक होने के कारण अपीलांट एवं अपने पिता हरिसिंह के विरूद्ध दावा पेश किया है। पूर्व के दावा में वादी पक्षकार नहीं थे, ना ही उस आधार पर दावा लड़ा गया है, ना ही पूर्व के दावे में कोई अंतिम निर्णय हुआ है। दोनों दावों की तनकीयात भी समान नहीं है। अतः रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह माना है। अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट की पैतृकता या विवादित भूमि का पैतृक नहीं होने बाबत कोई प्रश्न नहीं उठाया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि पूर्व वाद का निर्णय नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में यदि इसे तर्क से लिये पश्चात्वर्ती वाद माना जावें तो उस स्थिति में भी कार्यवाही स्थगित रहती किन्तु इस प्रकरण के तथ्य व परिस्थिति पूर्व वाद के वादी के कायम मुकाम पश्चातवर्ती वाद के वादीगण होने से पूर्ववर्ती वाद के भी वादीगण हो गये हैं। ऐसी स्थिति में भी अब द्वितीय अपील के स्तर पर अब इस बिन्दू पर जहां दोनों वाद के वादीगण कायम मुकाम कार्यवाही से एक हो गये हैं तो दोनों वादों की भूमि पक्षकारान व विषयवस्तु समान होना दृष्टिगत रखते पर वाद समेकन की स्थिति बनती है। वह स्थिति समेकित वाद के निर्णय से नहीं रूकती है। उस वाद की द्वितीय अपील जो अपील सं0 6614/2002/भरतपुर है, उसका निर्णय इसके साथ ही आज किया गया है।

10- उपरोक्त विवेचन से विदित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसे अपीलीय न्यायालय द्धारा यथावत रखा गया है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

11- अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्धान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27-08-2002 एवं सहायक कलक्टर, बैर द्धारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13-6-2001 यथावत रखें जाते हैं।

12- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य